SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीतिः आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुरेश कुमार, विधि विभाग, **रेणुका बंछोर,** एलएल.एम.–भाग–2 (द्वितीय सेमेस्टर)
शा. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
सुरेश कुमार
रेणुका बंछोर
E-mail : sk164365@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 20/02/2026
Revised on : 21/04/2026
Accepted on : 30/04/2026
Overall Similarity : 00% on 22/04/2026

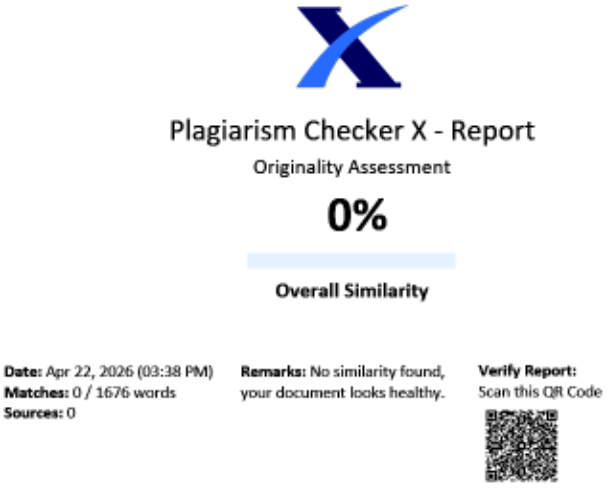

शोध सार

दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गहरी जड़ें जमाए हुई सामाजिक कुरीति है, जो महिलाओं के शोषण, लैंगिक असमानता और सामाजिक अन्याय का प्रमुख कारण बनी हुई है। यह प्रथा विवाह को एक पवित्र संस्था के बजाय आर्थिक लेन–देन में परिवर्तित कर देती है। इस शोध पत्र में दहेज प्रथा के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलुओं का आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दहेज प्रथा महिलाओं के प्रति हिंसा, घरेलू उत्पीड़न, दहेज हत्या और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देती है। इसके बावजूद, कानूनी प्रावधानों के होते हुए भी यह प्रथा समाज में व्याप्त है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा को एक सामाजिक कुरीति के रूप में समझना, उसके सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभावों का विश्लेषण करना तथा वर्तमान भारतीय समाज में इसके बने रहने के कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा करना है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन दहेज निषेध कानूनों की प्रभावशीलता का परीक्षण करता है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा हेतु 100 उत्तरदाताओं पर आधारित प्रश्नावली सर्वेक्षण किया गया, जबकि द्वितीयक डेटा पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों एवं न्यायिक निर्णयों से संकलित किया गया। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दहेज प्रथा आज भी सामाजिक प्रतिष्ठा, पितृसत्तात्मक सोच एवं आर्थिक असमानता के कारण जीवित है। कानून होने के बावजूद इसका प्रभाव सीमित है। जागरूकता की कमी तथा सामाजिक दबाव इसके प्रमुख कारण हैं।

मुख्य शब्द

दहेज प्रथा, सामाजिक कुरीति, महिला उत्पीड़न, लैंगिक असमानता, दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा.

प्रस्तावना

दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक प्राचीन परंपरा है, जिसका मूल स्वरूप समय के साथ विकृत हो गया है।

प्रारंभिक समय में दहेज को "स्त्रीधन" के रूप में देखा जाता था, जो विवाह के समय माता–पिता द्वारा अपनी पुत्री को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से दिया जाता था। यह स्वैच्छिक और स्नेहपूर्ण उपहार के रूप में होता था, जिसका उद्देश्य नवविवाहित महिला को आत्मनिर्भर बनाना था किन्तु समय के साथ यह परंपरा एक बाध्यकारी सामाजिक प्रथा में बदल गई, जिसमें वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से धन, संपत्ति, वाहन, आभूषण आदि की मांग की जाने लगी। इस परिवर्तन ने विवाह संस्था की पवित्रता को समाप्त कर दिया और इसे आर्थिक सौदेबाजी में परिवर्तित कर दिया। आधुनिक समाज में दहेज प्रथा का स्वरूप अत्यंत भयावह हो गया है। यह केवल आर्थिक बोझ ही नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गया है। कई परिवार अपनी सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता से अधिक दहेज देने को मजबूर होते हैं, जिससे वे कर्ज के बोझ में दब जाते हैं।

विषय की पृष्ठभूमि

दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक प्राचीन परंपरा रही है, जो समय के साथ एक गंभीर सामाजिक समस्या का रूप ले चुकी है। प्रारंभ में यह कन्या को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाती थी, किंतु वर्तमान समय में यह लालच एवं शोषण का माध्यम बन गई है।

शोध समस्या और लक्ष्य

शोध समस्या यह है कि कानून एवं जागरूकता अभियानों के बावजूद दहेज प्रथा समाप्त क्यों नहीं हो रही है। इस अध्ययन का लक्ष्य इसके सामाजिक कारणों की पहचान करना और समाधान प्रस्तुत करना है।

तर्कसंगतता

यह अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दहेज प्रथा न केवल महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि समाज में असमानता और हिंसा को भी बढ़ावा देती है। दहेज प्रथा का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। विवाह के बाद यदि दहेज की मांग पूरी नहीं होती, तो महिलाओं को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में यह उत्पीड़न दहेज हत्या या आत्महत्या तक पहुँच जाता है। इसके अतिरिक्त, दहेज प्रथा समाज में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। पुत्र को आर्थिक लाभ का स्रोत और पुत्री को आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाने लगता है, जिससे कन्या भ्रुण हत्या और लिंगानुपात में असंतुलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यद्यपि सरकार ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए "दहेज निषेध अधिनियम, 1961" और अन्य कानूनी प्रावधान लागू किए हैं, फिर भी सामाजिक मानसिकता में बदलाव के अभाव में यह प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। इस प्रकार, दहेज प्रथा न केवल एक सामाजिक कुरीति है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्या भी है, जिसका समाधान बहुआयामी प्रयासों के माध्यम से ही संभव है।

साहित्य समीक्षा

यह शोध दहेज प्रथा के बहुआयामी प्रभावों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है:

- कपाड़िया (1966) ने भारतीय विवाह प्रणाली में दहेज प्रथा के सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों का विश्लेषण किया।
- **शर्मा (1984)** ने दहेज प्रथा को सामाजिक प्रतिष्ठा और वर्ग भेद से जोड़कर देखा।
- **श्रीनिवास (1989)** ने "संस्कृतिकरण" (Sanskritization) के माध्यम से दहेज प्रथा के प्रसार को समझाया।
- **आहुजा (1998)** ने दहेज प्रथा को महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण बताया।
- **किश्वर (2005)** ने दहेज प्रथा के खिलाफ कानूनी उपायों की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाए।
- **जैन (2010)** ने दहेज प्रथा के आर्थिक प्रभावों और परिवारों पर पड़ने वाले बोझ का अध्ययन किया।
- **कुमार (2015)** ने दहेज प्रथा और लिंग असमानता के संबंध का विश्लेषण किया।

दहेज प्रथा को समझने के लिए पितृसत्तात्मक सिद्धांत, सामाजिक विनिमय सिद्धांत एवं नारीवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है।

शोध अंतराल

विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा अधिक प्रचलित है तथा शिक्षित वर्ग में भी यह सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है।

अधिकांश अध्ययन केवल कानूनी पहलुओं तक सीमित हैं, जबकि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर कम ध्यान दिया गया है।

कार्यप्रणाली

यह अध्ययन मिश्रित (Mixed) पद्धति पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

द्वितीयक आंकड़ें

लघु शोध

नारी प्रताड़ना एवं सामाजिक जागृति छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, कुमारी वैशाली उके; दहेज प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं के संरक्षण हेतु विधि में संशोधन एक सामाजिक आवश्यकता, श्रीमती किरणमयी नायक।

न्यायिक पत्रिकाएं

छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट 2011, अधिवक्ता चन्द्रनाथ झा।

छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट 2014, अधिवक्ता चन्द्रनाथ झा।

परिणाम / विश्लेषण

मात्रात्मक विश्लेषण

(अ) जनसांख्यिकीय डेटा

उत्तरदाताओं में 60 प्रतिशत पुरुष एवं 40 प्रतिशत महिलाएं थीं। आयु वर्ग 20–50 वर्ष के बीच था।

(ब) वर्णात्मक आंकड़े

70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि दहेज प्रथा अभी भी प्रचलित है। 55 प्रतिशत ने इसे सामाजिक दबाव का परिणाम बताया।

(स) अनुमानात्मक आंकड़े

सांख्यिकीय विश्लेषण से यह पाया गया कि शिक्षा स्तर और दहेज के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण संबंध है।

गुणात्मक विश्लेषण

(अ) कोड और थीम

मुख्य थीम में सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक दबाव, और पारिवारिक अपेक्षाएं शामिल हैं।

(ब) प्रत्यक्ष उद्धरण

एक उत्तरदाता द्वारा कहा गया समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए दहेज देना पड़ता है।

अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष सामने आए:

- दहेज प्रथा आज भी समाज में व्यापक रूप से प्रचलित है।
- आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा दहेज की मांग को प्रभावित करती है।
- महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों में दहेज एक प्रमुख कारण है।
- कानून होने के बावजूद इसका प्रभाव सीमित है।
- शिक्षित समाज में भी दहेज प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

चर्चा

दहेज प्रथा का विश्लेषण यह दर्शाता है कि यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जटिल सामाजिक समस्या है। इसका संबंध सामाजिक मानसिकता, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक मूल्यों से है।

कानूनी उपायों के बावजूद, जब तक समाज की सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। शिक्षा, जागरूकता और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष

दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक कुरीति है, जो महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए एक बड़ा खतरा है। यह प्रथा न केवल सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, बल्कि मानवता के मूल्यों के विरुद्ध भी है। अतः आवश्यक है कि समाज, सरकार और प्रत्येक व्यक्ति मिलकर इस प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाएँ और इसे समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएँ। केवल कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन भी आवश्यक है।

दहेज प्रथा पर आधारित इस आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन के निष्कर्ष से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि यह कुरीति केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहन संरचनात्मक समस्या है, जो भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं विधिक में व्याप्त है। यद्यपि आधुनिकता, शिक्षा और विधिक प्रावधानों के विस्तार ने समाज को प्रगतिशील दिशा में अग्रसर किया है, तथापि दहेज प्रथा का निरंतर अस्तित्व यह दर्शाता है कि सामाजिक परिवर्तन केवल बाहरी साधनों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए मानसिकता में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है।

इस अध्ययन के माध्यम से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि दहेज प्रथा का मूल कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जिसमें महिला को एक आश्रित एवं गौण स्थान पर रखा जाता है। विवाह को एक सामाजिक अनुबंध के स्थान पर आर्थिक लेन–देन के रूप में देखने की प्रवृत्ति ने इस समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। परिवारों द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा, मान–सम्मान और परंपरा के नाम पर दहेज को स्वीकार करना, इस कुरीति को वैधता प्रदान करता है, इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट हुआ कि दहेज प्रथा केवल आर्थिक शोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक प्रमुख माध्यम है। दहेज के कारण उत्पन्न होने वाले मानसिक एवं शारीरिक अत्याचार, घरेलू हिंसा, और यहां तक कि दहेज मृत्यु जैसे अपराध इस प्रथा की गंभीरता को दर्शाते हैं। यह स्थिति न केवल महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि संपूर्ण समाज की नैतिकता और न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। विधिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दहेज निषेध अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनों का अस्तित्व इस समस्या के समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है, किंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियां विद्यमान हैं। कानून की जानकारी का अभाव, सामाजिक दबाव, और न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता के कारण पीड़ित महिलाएं अक्सर न्याय प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं।

संदर्भ सूची

1. जैन, एस.के. (2014) *दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम,* तृतीय संस्करण, कमर्शियल लॉ पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. परांजपे (2005) *भारतीय दंड संहिता,* चतुर्थ संस्करण, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
3. शर्मा, प्रमोद कुमार (2010) *परिवार और विवाह के बदलते प्रतिमान,* प्रथम संस्करण, अध्ययन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।

****